

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर

कार्यालय आदेश

क्रमांक एफ 15(5)2019/गोप्र/प्रमुखस/

दिनांक

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्राधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 27.11.2019 की अभिशथानुसार निम्नलिखित निजी सहायकों को अति निजी सचिव के पद पर पदोन्नति कर वेतनमान 44300-140100 एल-12 (4800) में वर्ष 2019-20 के विरुद्ध नवीन पदस्थापन उनके नाम के समक्ष अंकित विवरण अनुसार किये जाने का आदेश प्रचलित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम श्री	पिता का नाम श्री	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	पदोन्नति पर नवीन पदस्थापन कार्यालय का नाम	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि
1	ललिता शंकर पाटीदार	खेमाजी	मुख्य वन संरक्षक उदयपुर	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राज.जयपुर	01.04.2019

वर्तमान में सेवारत उपरोक्त पदोन्नत लोक सेवक दिनांक 15.12.2019 तक अति निजी सचिव के पद पर हुए नवीन पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति देंगे।

EO

(दीपक मटनागर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)

राजस्थान जयपुर

दिनांक 28.11.2019

क्रमांक एफ 15(5)2019/गोप्र/प्रमुखस/ 7412-7417/c

प्रालास्य निम्नांकित का प्राप्ति कर निवेदन है कि आप अपने अधीन पदस्थापित निजी सहायक का आत निजी सचिव के पद पर पदोन्नति उपरान्त नवीन पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु दिनांक 15.12.2019 तक भारमुक्त कर इस कार्यालय को अवागत करावें। यदि कोई लोकसेवक पदोन्नति पद जाने का इच्छुक नहीं हो तो उनके इस आराग का आयेदन प्राप्त कर भिजवावे, ताकि ऐसे कर्मियों की पदोन्नति को फौरन करने की आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके। उक्त पदोन्नत लोकसेवक द्वारा नवीन पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति दिये जाने पर उपस्थिति तिथि से

1. मुख्य वन संरक्षक उदयपुर।
2. वन संरक्षक एवं प्राविधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर।
3. जनरल कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजरा को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. अध्यक्ष मंत्रालयिक कर्मचारी समिति वन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. कार्मिक स्टून्थ/कार्यालय हाजरा।
6. रकी पत्रावली।

EO

(एच. के. सारस्वत)

उप वन संरक्षक (प्रस्था अराजपत्रित)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

राजस्थान, जयपुर